बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:– 08-10-2024

अधिसूचना संख्या–22 / नि0सि0(पू0)01–03 / 2015 ..... 1587 ..... श्री अरूण कुमार पाण्डेय (आई०डी०–जे 8134), तत्कालीन कनीय अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–1, खगौल के विरूद्ध पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य के लिए Deficient प्राक्कलन तैयार करने, कार्य समय सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं होने एवं संपादित कार्यों की गुणवत्ता जाँच में संरचनाओं में सीमेंट की मात्रा में कमी पाये जाने संबंधी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1603 दिनांक 25.07.2018 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय पत्रांक–2152 दिनांक 25.09.2018 द्वारा आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विस्तृत जाँच के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2466 दिनांक 28.11.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री पाण्डेय के अनुशासनिक कार्रवाई के दरम्यान सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप ~~विभागीय अधिसूचना सं0–2008 दिनांक 23.08.2022 द्वारा दिनांक 31.12.2021 के प्रभाव से निलंबन मुक्त~~ किया गया।

अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति देते हुए श्री पाण्डेय से विभागीय पत्रांक–1499 दिनांक 22.06.2022 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी।

उक्त के अनुपालन में श्री पाण्डेय द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके सम्यक समीक्षोपरांत आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2764 दिनांक 12.12.2022 द्वारा "बीस प्रतिशत पेंशन की कटौती स्थायी रूप से" का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक–1679 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) के निहित प्रावधान के तहत निलंबन अवधि (दिनांक 25.07.2018 से 30.12.2021 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा के संदर्भ में, श्री पाण्डेय से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

तदालोक में श्री पाण्डेय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरांत श्री पांडेय के निलंबन अवधि (दिनांक 25.07.2018 से 30.12.2021 तक) का विनियमन निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है–

"निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नहीं होगा एवं उक्त निलंबन अवधि सिर्फ पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित की जायेगी।"

अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय श्री अरूण कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–1, खगौल सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(राजीब बर्नड कुजूर)
सरकार के उप सचिव

कृ०प०उ०

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी0 डी0 सहित दो प्रतियों में प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की आवश्यक प्रतियाँ जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1587 / पटना, दिनांक– 08-10-2026

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, ~~जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग~~/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 एवं 23 जल संसाधन विभाग/श्री अरूण कुमार पाण्डेय (ID-J 8134), सेवानिवृत सहायक अभियंता, पता–वसुधैव भवन, इन्द्रपुरी, रोड नं0–1, नियर पाटलिपुत्रा, पो0–केसरी नगर, पटना–800024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/10/26
सरकार के उप सचिव